

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, August 10, 1999/ Shraavan 19, 1921 (Saka)

No. 451/k

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker,
Delhi Vidhan Sabha was received from ACP, North West Distt.
Delhi on 10.08.99 :-

"I have the honour to inform you that
Smt. Sushila Devi, Hon'ble member of
Legislative Assembly, Delhi was arrested
in case FIR No.464/99 u/s 186/332/353/34
IPC under Police Station Mangol Puri on
04.08.1999.

She was immediately released on bail
as per prior order of Additional Sessions
Judge, Delhi."

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
मंगलवार, 10 अगस्त, 1999 / श्रावण 19, 1921 ॥ शक ॥

संख्या : 45/16

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित ए.सी.पी. उत्तर-पश्चिमी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 10.08.99 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा की माननीय सदस्या, श्रीमति सुशीला देवी को दिनांक 4.8.99 को एफ.आई.आर. सं. 464/99 यू/एस 186/332/353/34 भारतीय दंड संहिता के मामले में पुलिस थाना मंगोल पुरी के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उन्हें तुरंत ही अतिरिक्त तत्र न्यायाधीश, दिल्ली के पूर्व आदेशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

एस. के. शर्मा
सचिव